कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या– 65 / 14 तिथि–08.07.2015

मिथिलेश राम बनाम अन्य (कुढ़नी)

उपस्थित –श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

निर्णय

परिवादी श्री मिथिलेश राम द्वारा दिनांक–20.08.2014 को एक परिवाद दायर किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि रजला पंचायत में वर्ष–20.11.2011 से 25.11.2012 वनपोषक के रूप में कार्यरत रहे मेरा पासबुक एवं जॉब कार्ड पंचायत रोज़गार सेवक के पास है। मजदूरी मांगने पर मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक बात को टालते रहते है, और मेरा पासबुक व जॉब कार्ड मुझे नहीं देते हैं। परिवादी ने पासबुक व जॉब कार्ड दिलाने का जिक्र किया है।

इस परिवाद के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी एवं पंचायत रोजगार सेवक, रजला को नोटिस जारी की गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी ने पत्रांक–29 / कुढ़नी दिनांक–21.01.2015 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इसमें उल्लेख किया गया है कि पूर्व पदस्थापित पंचायत रोजगार सेवक श्री उज्ज्वल कुमार द्वारा उक्त मजदूर का नाम एवं कार्य का ब्यौरा आदि मस्टर रॉल में दर्ज नहीं किया है। जिसके कारण इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि परिवादी मिथिलेश राम द्वारा किस योजना में कब से कब तक तथा कितने दिन कार्य किया गया है। अतः श्री राम द्वारा मांग किये जा रहे लंबित भुगतान के विरूद्ध भुगतान करना कठिन है। पासबुक एवं जॉब कार्ड मजदूर के पास रहता है किसी अन्य के पास नहीं रहता है। मुखिया व पंचायत रोजगार सेवक द्वारा बताया गया कि मिथिलेश राम का पासबुक एवं जॉब कार्ड हमलोग नहीं रखें है।

कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी से **परिवादी मिथिलेश** राम के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की मांग की गयी :–

01. पंचायत रोजगार सेवक के **प्रभार का सत्यापन एवं विधिवत** संधारण संबंधी सम्पुष्टि प्रतिवेदन।
02. अबतक पूर्व पंचायत रोजगार **सेवक द्वारा प्रभार नहीं** दिए जाने पर आपके स्तर से की गई कार्रवाई प्रतिवेदन।
03. मजदूर से कार्य स्थल पूछ कर **योजना की जानकारी** अभिलेख से मिलान कर स्वयं जाँच कर जाँच प्रतिवेदन ।
04. अनुबंध (19) के तहत रोजगार पंजी **का निरीक्षण** कर सम्पुष्टि प्रतिवेदन।

कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी **संशोधित प्रतिवेदन** पत्रांक–54 दिनांक–12.03.2015 द्वारा बिन्दुवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जो **निम्नलिखित है** :–

01. पूर्व पंचायत रोजगार सेवक **उज्ज्वल कुमार** द्वारा वर्त्तमान पंचायत रोजगार सेवक को वित्तीय वर्ष–2007–08 एवं 2008–09 के **सम्पूर्ण** योजना अभिलेख, रोकड़ पंजी, योजना पंजी आदि का प्रभार दिया गया है। किन्तु वित्तीय **वर्ष**–2009–10 में कार्यान्वित योजना अभिलेखों का विधिवत एवं सम्पूर्ण प्रभार नहीं सौपा गया है। उक्त वित्तीय वर्ष में कुल 19 योजनाओं पर कार्य कराया गया है, जिसमें 15 योजनाएँ वृक्षारोपरण से संबंधित है। इन सभी योजनाओं की मापीपुस्त का प्रभार नहीं सौंपा गया हैं। विदित हो कि वृक्षारोपण की योजना का क्रियान्वयन तीन वर्ष तक होना था किन्तु अधिकतर योजनाओं में मस्टर रॉल 05.10.2010 तक का ही पाया गया है। अर्थात इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन मस्टर रॉल के आधार पर 01 वर्ष से कम अवधि तक ही कराया गया है। श्री उज्ज्वल कुमार द्वारा मनरेगा अधिनियम का पूर्णरूपेण उल्लंघन करते हुए मनमाने ढ़ग से पौधारोपण की योजनाओं का कार्यान्वयन कराया गया है जिसके कारण मजदूरों का हित प्रभावित हुआ है।
02. मुझको उक्त बात की सूचना प्राप्त होने के बाद प्रभार दिलाने हेतु पूर्व पंचायत रोजगार सेवक एवं वर्त्तमान पंचायत रोजगार सेवक को पत्र के माध्यम से एवं दूरभाष पर तथा उज्ज्वल कुमार को प्रखंड कार्यालय में अनेकोबार बुलाकर प्रभार देने का निदेश दिया गया है। मेरे काफ़ी प्रयास के बाद उज्ज्वल कुमार पूर्व पंचायत रोजगार सेवक द्वारा आधा–अधूरा प्रभार सौंपा गया है एवं सम्पूर्ण प्रभार के नाम पर पूछे जाने पर टाल–मटोल करते रहते हैं।
03. मजदूरों से कार्य स्थल पूछ कर योजना की जानकारी अभिलेख से मिलान किया गया किन्तु अभिलेख से मिलान में पाया गया कि परिवादी मिथिलेश राम का नाम मस्टर रॉल में दर्ज नहीं

है। लगभग सभी व्यक्ति द्वारा नवम्बर 2011 से फरवरी 2012 के बीच कार्य का दावा किया गया है किन्तु उक्त अवधि का मस्टर रॉल योजना अभिलेख में नहीं पाया गया है।

04. अनुबंध (19) के तहत रोजगार पंजी का सृजन उज्ज्वल कुमार पंचायत रोजगार सेवक द्वारा नहीं किया गया है।

अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख कुछ गवाहों ने अपना बयान दिया यथा श्री विपत राम, श्री राजेन्द्र राम एवं एक अन्य ग्रामीण श्री सुभाष पासवान। इन गवाहों में से श्री राजेन्द्र राम एवं विपत राम का कहना है कि इनलोंगो ने मनरेगा योजना अंतर्गत वनपोषक के रूप में इनके (परिवादी मिथिलेश राम) साथ काम किया है। एक अन्य ग्रामीण सुभाष पासवान ने कहा है कि इनलोंगो के साथ काम तो नहीं किए परन्तु ये जानते है कि उपरोक्त उल्लिखित मजदूर उक्त योजना में वनपोषक के रूप में कार्य किए हैं। जिस योजना में इनलोंगो ने काम किया उसका नाम है–मलंग चौक से उत्तर वलेश्वर सिंह के मुर्गी फार्म के पीछे तक।

दिनांक–25.05.2015 को कनीय अभियंता, कुढ़नी द्वारा परिवादी के साथ कार्य स्थल पर उपलब्ध पौधों की गणना संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराई गयी है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि श्री राम द्वारा योजना सं0–04/09–10, योजना का नाम–एन.एच.–77 से ग्राम–विशुनपुर मंगल में जानेवाली नहरी के उत्तरी भाग में वृक्षारोपण पर कार्य करना बताया गया है। उक्त योजना पर कुल–600 पौधे लगाये गए थे। जाँच में जीवित पौधों की सं0–119 और कटे हुए पौधों की सं0–31 पायी गयी है। इस प्रकार जाँच में 600 पौधे के विरूद्ध 150 पौधे पाए गए है। जिसका प्रतिशत 25 होता है।

दूसरी ओर श्री राम द्वारा दिनांक–22.11.2011 से 25.11.2012 तक वनपोषक के रूप में कार्य करने की बात कही गयी है। किन्तु संचिका में उक्त अवधि या किसी भी अवधि में संचिका के मस्टर रॉल में श्री राम का नाम नहीं पाया गया है। इनका नाम एम.आई.एस. में भी नहीं है। इस प्रतिवेदन के साथ परिवादी श्री राम का बयान भी संलग्न है जिसमें अंकित है, "मेरे समक्ष आज दिनांक–22.05.2015 को पौधों की गिनती की गयी जिसमें जीवित पौधों की सं0–119 और कटे हुए पौंधो की सं0–31 है।"

पुनः दिनांक–23.06.2015 को परिवादी ने एक आवेदन दिया जिसमें उसने अंकित किया है कि वह मनरेगा योजना में काम किया। काम करने के समय दो दिन पर सिर्फ रोजगार सेवक कार्य स्थल पर आते थे। उस समय कोई पदाधिकारी पौधों की गिनती कर नहीं लिखें। काम छोड़े काफी दिन हो गया इस कारण बहुत सारे पौंधे कार्य स्थल पर नहीं है। अतः यह जाँच रिपोर्ट सत्य से परे है।

–: विचारणीय बिन्दु :–

क्या तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, रजला एवं तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी द्वारा निर्देशों के अनुकूल काम किया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं किया है तो उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई अपेक्षित है?

2 क्या परिवादी ने मनरेगा योजना के अंतर्गत काम किया है? क्या उसे मजदूरी का भुगतान किया गया है। यदि नहीं तो क्या वह मजदूरी पाने का अधिकारी है? यदि अधिकारी है तो कितना मजदूरी पाने का अधिकारी है?

–: निष्कर्ष :–

इस पूरे मामले में एक बात स्पष्ट है कि जो भी प्रतिवेदन पंचायत रोजगार सेवक और कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दिया गया है वह अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, तत्कालीन पंचायत तकनीकी सहायक एवं तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी ने सरकार के निर्देशों के अनुकूल न तो मजदूर को काम मांगने के आवेदन की प्राप्ति रसीद दिए हैं न तो अनुबंध (19) के तहत रोजगार पंजी संधारित किए है। मजदूर के अज्ञानता और कमजोरी का फायदा उठाकर उससे काम लिया है जिसे गवाहों यथा राजेन्द्र राम, विपत राम एवं सुभाष पासवान ने अपने मौखिक बयान में संपुष्ट किया है। इन मजदूरों ने मलंग चौक से उत्तर बालेश्वर सिंह के मुर्गी फार्म के पीछे तक काम किया था। यह बात अभिलेख से स्पष्ट है। चूँकि कहीं अभिलेख में आवेदक मिथिलेश राम का उल्लेख नहीं है। वर्त्तमान कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी ने अपने प्रतिवेदन में कहीं भी स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि परिवादी ने किसी योजना में कोई काम नहीं किया है। लेकिन द्वितीयक साक्ष्य और सह– मजदूरों के बयान से स्पष्ट है कि मिथिलेश राम ने वनपोषक का काम किया है। कनीय अभियंता ने जो प्रतिवेदन दिया है उसमें योजना सं0–04/09–10 का उल्लेख किया है और उसमें वर्त्तमान पेड़ों की संख्या बताई गई है। किन्तु मिथिलेश राम ने अपने आवेदन में 20.11.2011 से 25.11.12 तक वनपोषक के रूप में काम करने की बात कही है। पत्रावली के निरीक्षण से स्पष्ट है कि तत्कालीन

पंचायत रोजगार सेवक द्वारा सम्यक रूप से काम नहीं कराया गया है। वर्त्तमान कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दिए गए जवाब पत्रांक–54 दिनांक–12.03.2015 से स्पष्ट है कि पंचायत रोजगार सेवक, उज्ज्वल कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 में कार्यान्वित योजना अभिलेखों का विधिवत एवं सम्पूर्ण प्रभार नहीं सौंपा गया है। इनके द्वारा मापीपुस्त का प्रभार भी नहीं सौंपा गया है। वर्त्तमान कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा भी यह नहीं बताया गया है कि पंचायत रोजगार सेवक द्वारा प्रभार न देने पर इन्होंने क्या कार्रवाई की? और इस तरह यह भी कार्य में लापरवाही के लिए जिम्मेदार है। वर्त्तमान कार्यक्रम पदाधिकारी ने स्पष्ट बताया है कि नवम्बर 2011 से फरवरी 2012 के बीच का मस्टर रॉल योजना अभिलेख में भी नहीं पाया गया और तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक ने अनुबंध (19) के तहत रोजगार पंजी का सृजन नहीं किया गया। इस प्रकार मैं पाता हूँ कि इन दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत योजनाओं में काम किए मजदूरों की गवाही ज्यादा सच्ची और विश्वसनीय प्रतीत होती है। और इस प्रकार मैं पाता हूँ कि मिथिलेश राम के कथन में, कि उसने 20.11.2011 से 25.11.12 तक वनपोषक का काम किया, सही प्रतीत होता है। अतः वह मजदूरी पाने का अधिकारी है। इस तरह दो वित्तीय वर्षो 2011–2012 एवं 2012–13 में कुल 200 दिन का मजदूरी पाने का अधिकारी है। किन्तु एक योजना पर जिस पर कनीय अभियंता ने पौधों की गणना कर रिपोर्ट दी है उसको आधार मानते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि चूँकि समय से पौधों की उत्तरजीविता की गणना पंचायत तकनीकी सहायक द्वारा नहीं की गई और अब पौधों की संख्या–75 प्रतिशत से कम है। किन्तु इसके लिए भी मजदूर को दोषी नहीं माना जा सकता है। अतः उसे न्यूनतम यानी आधी मजदूरी दिया जाना न्यायसंगत है। तदनुसार आदेश दिया जाता है।

तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, रजला एवं तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी द्वारा निर्देशों के अनुकूल काम नहीं किया गया है। कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा योजनाओं का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण ससमय नहीं किया गया। पंचायत रोजगार सेवक द्वारा किए गए कार्यो का भी अनुश्रवण नहीं किया गया। तत्कालीन पंचायत तकनीकी सहायक द्वारा समय पर पौधों की गिनती कर अभिलेख संधारण नहीं किया गया।

गवाहों के बयान से स्पष्ट होता है कि परिवादी श्री मिथिलेश राम ने मनरेगा योजना के अंतर्गत काम किया है। पंचायत रोजगार सेवक की लापरवाही के कारण परिवादी द्वारा किए गए कार्यो का अभिलेख नहीं रखा गया। इस प्रकार परिवादी मजदूरी पाने का अधिकारी है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में निम्नलिखित आदेश पारित की जाती है :–

01 परिवादी श्री मिथिलेश राम द्वारा वनपोषक के रूप में दिनांक–20.11.2011 से लेकर 25.11.2012 तक किए गए कार्य को न्यूनतम मजदूरी अर्थात् 75 प्रतिशत पौधों की उत्तरजीविता मानते हुए उसे 200 दिनों का मजदूरी भुगतान उस वक्त के मजदूरी दर के आधार पर की जाए।

02 तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी, श्री अश्विनी कुमार झा को ससमय निरीक्षण नहीं करने संबंधी लापरवाही का दोषी मानते हुए उनके तीन माह की वेतन काट ली जाए।

03 तत्कालीन पंचायत तकनीकी सहायक, श्रीमती रेखा कुमारी की सेवा समाप्त की जाए।

04 तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, रजला, कुढ़नी, श्री उज्ज्वल कुमार की सेवा समाप्त की जाए एवं उस पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।

05 वर्त्तमान कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी श्री जितेन्द्र कुमार को चेतावनी दी जाए कि वे भविष्य में लापरवाही नहीं बरतें।

ह/.
लोकपाल (मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक : 88 / मुज0,दिनांक– 08/07/2015

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुज0 को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर कृपया आदेश की प्रति को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
प्रतिलिपि :– संबंधित आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित।

8.7.15
लोकपाल (मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

D/DRDA/Damodar/Lokpal app..